राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या– 833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 18.11.2016 को सूडा सभागार में सायं 05:30 बजे आयोजित "बारहवीं" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री आर0एन0 सिंह, संयुक्त सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्रीमती अजन्ता देवी, सीनियर रिसर्च आफिसर, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री राम नरेश, अपर सांख्यिकी अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
6. श्री राहुल जी श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, हडको।
7. श्री वी0 थीरूयावालयन, कार्यकारी निदेशक, हडको।
8. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
9. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, डी0जी0एम0 हडको, लखनऊ।
10. श्री आर0एन0 पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, एन0यू0एल0एम0, सूडा, उ0प्र0।
11. डा0 कमल कुमार सिंह, स्टेट मिशन मैनेजर, एन0यू0एल0एम0, सूडा, उ0प्र0।
12. श्री हरीराम, अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
13. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
15. श्री सुधाकान्त मिश्रा, परियोजना अधिकारी, डूडा, रायबरेली।
16. श्री तौहीद मिर्जा असिस्टेंट आर्किटेक्ट।
17. श्री अनिल कुमार, स्थानिक अभियन्ता, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–9, सहारनपुर।
18. श्री रवीन्द्र सिंह, परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0।
19. श्री आर0के0 कौशिक, परियोजना अधिकारी, डूडा, सहारनपुर।
20. श्री अनुपम त्रिवेदी, आर्किटेक्ट, सूडा।
21. श्री आर0के0 सिंह, परियोजना अधिकारी, सीतापुर।

बिन्दु सं0–1 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 02.08.2016 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 02.08.2016 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

बिन्दु सं0–2 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत सहारनपुर नगर में दो आश्रय गृहों के नये निर्माण की स्वीकृति निरस्त करने पर विचार।

टिप्पणी— दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की पंचम बैठक दिनांक 23.01.2015 में क्रमांक—1 पर सहारनपुर नगर में दो शेल्टर होम के निर्माण और संचालन तथा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी:—

रू0 लाख में

क्र0 सं0	स्थल का नाम	प्रकार	क्षमता	निर्माण लागत	संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि
1	दुधली रोड	नया निर्माण	54	148.42	29.94	178.38	59.368
2	दारा अली की चुंगी	नया निर्माण	54	155.04	29.94	184.98	62.016

परियोजना अधिकारी डूडा—सहारनपुर के पत्र सं0—340एन0यू0एल0एम0 / 2016—17 दिनांक 20.08.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि क्रमांक 1 पर अंकित सहारनपुर के सड़क दुधली रोड के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पत्रांक ई—14013 / 01(27) / 2013 यू0एस0डी0 एफ0टी0एस0—10389 दिनांक 26.03.2015 के माध्यम से चयनित कार्यस्थल रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड से काफी दूर बताते हुए सलाह दी गयी है कि परियोजना के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु नये कार्य स्थल का चयन किया जाय। उक्त के अतिरिक्त क्रमांक 02 पर अंकित दारा अली की चुंगी, सहारनपुर की भूमि पर मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है। उपरोक्तानुसार सहारनपुर में उक्त स्थलों के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण आश्रय निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त मद में अवमुक्त धनराशि रू0 121.384 लाख की डी0डी0 सं0— 030315 दिनांक 20.08.2016 भी पत्र के साथ संलग्न कर भेजी गई है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन के पत्र सं0—642 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SUH) Vol-IV दिनांक 07.09.2016 द्वारा इस धनराशि पर अर्जित ब्याज की भी मांग की गई है।

निर्णय— **उपरोक्तानुसार सहारनपुर नगर में पूर्व में दो आश्रय गृहों के नये निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव निरस्त किया गया। सहारनपुर नगर में दो अन्य आश्रय गृहों के नये निर्माण हेतु स्थल चयन कर डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।**

बिन्दु सं0—3 दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत खलीलाबाद— संत कबीर नगर में आश्रय गृह के नये निर्माण की स्वीकृति के निरस्तीकरण पर विचार।

टिप्पणी— राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक— 12.03.2015 के कार्यवृत्त संख्या— 5609 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH) दिनांक 31.03.2015 के द्वारा संत कबीर नगर के खलीलाबाद हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 258.77 (निर्माण लागत रू0 228.77 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 30.00 लाख) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के

रूप में रू0 91.51 लाख धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा सन्तकबीर नगर के पत्रांक 654/आश्रय योजना/डूडा/2015–16 दिनांक 14.03.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल विवादित हो जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो सका। आश्रय योजनान्तर्गत दूसरी जगह ज़मीन मिल जाने के कारण नया डी0पी0आर0 बनाकर भेजा जा रहा है। पुराने डी0पी0आर0 को निरस्त करते हुए नये डी0पी0आर0 को संस्तुति करने का कष्ट करें।

इसक्रम में वैकल्पिक भूमि पर शेल्टर होम के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 02.08.2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

रू0 लाख में

क्र0सं0	क्षमता	तल का विवरण	निर्माण क्षे0 (वर्ग मी0)	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत
1	70	G+2	931.16	191.95	42.00	233.95

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत डी0पी0आर0 के पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन का अवलोकन किया गया और पाया गया कि आश्रय गृह के निर्माण स्थल के फोटोग्राफ से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त स्थल आश्रय गृह हेतु उपयुक्त है या नहीं। समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि परियोजना निदेशक, सूडा, परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 तथा परियोजना अधिकारी सन्त कबीर नगर स्थल का निरीक्षण कर उपयुक्तता के सम्बन्ध में टिप्पणी प्रस्तुत करें। यदि स्थल आश्रय गृह निर्माण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया जाय तो स्वीकृति हेतु आगामी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

इस सम्बन्ध में शहर परियोजना अधिकारी/परियोजना निदेशक डूडा राज्य शहरी आजीविका मिशन खलीलाबाद संत कबीर नगर के संलग्न पत्र सं0–5114/एन0यू0एल0एम0/2016–17 दिनांक 03.09.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के अनुपालन में मेरे द्वारा एवं परियोजना प्रबंधक, सी0एण्ड डी0एस0 तथा परियोजना अधिकारी डूडा, संत कबीर नगर द्वारा संयुक्त रूप से स्थल कर निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि स्थल **आश्रय निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है।**

निर्णय– **जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद में पूर्व स्वीकृत आश्रय गृह निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि उपयुक्त नहीं पायी गयी है। अतः उपयुक्त स्थल उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त करने तथा अवमुक्त धनराशि ब्याज सहित वापस किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

बिन्दु सं0–4 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत शामली में आश्रय गृह के उच्चीकरण (refurbishment) हेतु प्राप्त स्वीकृति के निरस्तीकरण पर विचार।

टिप्पणी– नगर पालिका परिषद शामली में क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान नगर पालिका प्रगति बाजार आश्रय गृह के उच्चीकरण (refurbishment) हेतु निर्माण लागत रू0 36.84 लाख तथा संचालन और प्रबंधन हेतु रू0 29.94 (कुल रू0 66.78) लाख की स्वीकृति राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 में प्रदान की गई जिसके सापेक्ष रू0 14.736 लाख अवमुक्त किया गया है। उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त स्थल न्याया[illegible] विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

निर्णय– **नगर पालिका परिषद शामली क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका प्रगति बाजार आश्रय गृह के नवीनीकरण/उच्चीकरण (refurbishment) के सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त किया गया और अवमुक्त धनराशि ब्याज सहित वापस प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।**

बिन्दु सं0–5 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (SUH) के अन्तर्गत निम्नलिखित नगरों में शेल्टर होम निर्माण की डी0पी0आर0 की स्वीकृति पर विचार–

1. **सीतापुर** – नगर पालिका परिषद सीतापुर में शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव नगर मजिस्ट्रेट/परियोजना निदेशक, डूडा के पत्र सं0–1054/डूडा/एन0यू0एल0एम0–एस0यू0एच0/2016–17 दिनांक 22.10.16 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

(क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या		–	50
(ख) शेल्टर होम का प्रकार		–	नया निर्माण (G+ 2)
(ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area)		–	1053.84 वर्गमीटर
(घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत			
1. निर्माण कार्यों हेतु लागत	रू0	–	233.65 लाख
2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु)	रू0	–	30.00 लाख
योग		–	**263.65 लाख**

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ. आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(ङ) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

(च) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

(छ) डी0पी0आर0 में अपेक्षित स्थानों पर कहीं भी नगर पालिका परिषद सीतापुर के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

(ज) प्रस्ताव में कब्जा प्राप्ति स्थल का फोटोग्राफ प्रस्तावित स्थल पर आश्रय गृह निर्माण की उपयुक्तता पर टिप्पणी एवं बार चार्ट संलग्न नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त आवश्यकताओं/औपचारिकताओं को पूर्ण करने और इंगित कमियों का निराकरण करने पर निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सक्षम स्तर से सुनिश्चित करने की स्थिति में उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई–

4

(1). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 233.65 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन/सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि का 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(2). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना उचित होगा।

(3). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय के संचालन की नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि के दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण, संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अंकित आवश्यकताओं और औपचारिकताओं को पूर्ण कराया जाना और इंगित कमियों का निराकरण करना अनिवार्य होगा।

2. **रायबरेली** – नगर पालिका परिषद रायबरेली की बस्ती मुंशीगंज में शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम (रैन बसेरा) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रायबरेली के पत्र सं0-320/डूडा/रैन बसेरा/2016-17 दिनांक 05.10.16 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

(क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 50

(ख) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+ 1)

(ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 575.80 वर्गमीटर

(घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1.	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	–	250.47 लाख
2.	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	–	29.94 लाख
	योग	–	**280.41 लाख**

4

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ. आर), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य. होगा।

(ड) शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी प्राकलन (Estimate), लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

(च) डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

(छ) प्रस्तावित निर्माण स्थल के भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में उद्धरण खतौनी संलग्न की गई है, जिसमें खातेदार का नाम औघड़ भगवानराम कुष्ट सेवा आश्रम संचालन सर्वेश्वरी समूह अंकित है। मंत्री श्री सर्वेश्वरी समूह औघड़ भगवान राम कुष्ट सेवा आश्रम, रायबरेली द्वारा श्री सर्वेश्वरी समूह औघड़ भगवान राम कुष्ट सेवा आश्रम, रायबरेली में बाहरी रोड साइड (लखनऊ–इलाहाबाद–राष्ट्रीय मार्ग) में एक रैन बसेरा 3250 वर्गफिट के भूमि तल और प्रथम तल का निर्माण कराये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति न होने का दिया गया प्रमाण–पत्र दिनांक 30.01.2016 संलग्न किया गया है।

(ज) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रायबरेली के पत्रांक 214/न0पा0परि0/एन0यू0एल0एम0–एस0यू0एच0/2016–17 दिनांक 08.11.16 द्वारा दिये गये इस आशय का प्रमाण पत्र कि "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के घटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत 50 व्यक्तियों के लिये मुंशीगंज रायबरेली में आश्रय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका योजना के मार्ग निर्देशिका एवं दिशा–निर्देशानुसार पांच वर्ष के उपरान्त नगर पालिका परिषद, रायबरेली प्रचालन और अनुरक्षण के लिये सहमत हैं" संलग्न किया गया है।

(झ) प्रस्ताव में कब्जा प्राप्ति स्थल का फोटोग्राफ एवं प्रस्तावित स्थल पर आश्रय गृह निर्माण की उपयुक्तता पर टिप्पणी एवं बार चार्ट संलग्न नहीं है।

(ञ) डी0पी0आर0 में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रायबरेली, सिटी प्रोजेक्ट आफिसर अथवा जिलाधिकारी रायबरेली के हस्ताक्षर नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त आगणन के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ उपरोक्त बिन्दुओं में अपेक्षित आवश्यकतायें/औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सक्षम स्तर द्वारा सुनिश्चित करने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया–

(1). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रू0 250.47 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त

के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन/सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि का 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(2). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना उचित होगा।

(3). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय के संचालन की नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन एवं उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि के दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण, संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अंकित आवश्यकताओं और औपचारिकताओं को पूर्ण कराया जाना और इंगित कमियों का निराकरण करना अनिवार्य होगा।

3. **शामली** – नगर पालिका परिषद शामली में चयनित स्थान थाना आदर्श मण्डी भैंसवाल रोड के पीछे शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम (रैन बसेरा) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामली द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(क) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 50
(ख) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+ 1)
(ग) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 785.36 वर्गमीटर
(घ) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

1. निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0 – 171.84 लाख
2. संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0– 29.94 लाख

योग – 201.78 लाख

4

(ड़) उक्त डी0पी0आर0 में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था (आश्रय हेतु शेल्टर प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व आदि) का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

(च) प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति, भू–स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख संलग्न नहीं है।

(छ) डी0पी0आर0 में सी0एण्ड डी0एस0 के अभियन्ताओं के अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद, शामली शहर मिशन प्रबन्धन इकाई अथवा जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

(ज) प्रस्ताव में कब्जा प्राप्ति स्थल का फोटोग्राफ एवं बार चार्ट संलग्न नहीं है, प्रस्तावित स्थल पर आश्रय गृह निर्माण की उपयुक्तता पर टिप्पणी एवं बार चार्ट संलग्न नहीं है।

(झ) प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ञ) समिति के समक्ष किये गये पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन से स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित निर्माण स्थल शहरी आबादी से दूर है। जो शहरी बेघरों के लिये उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। इस तथ्य का परीक्षण शामली के सी0पी0ओ0, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, परियोजना अधिकारी डूडा तथा प्रोजेक्ट मैनेजर सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।

अंकित कमियों को दूर कर अपेक्षित आवश्यकताओं/औपचारिकतायें पूर्ण करने सम्बन्धी आख्या और संयुक्त निरीक्षण में स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में टिप्पणी प्राप्त होने पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। तद्नुसार प्रस्ताव स्थगित किया गया।

आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड लाइन में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में किया जाये।
6. हडको प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देश दिये गये कि संचालन व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि का विस्तृत ब्रेकअप गाइडलाइन के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त तत्काल उपलब्ध कराया जाये।
7. निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले डी0पी0आर0 में विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।
8. निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
9. निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन के ऊपर शौचालय निर्मित न किया जाये, साथ ही प्रस्तावित किचेन में वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
10. गाइडलाइन के अनुसार आश्रय गृह संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आश्रय व्यवस्था प्रबन्धन समिति (Shelter Management Committee) का गठन, अपेक्षित स्टाफ की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।
11. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

13. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
14. स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
16. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा। साथ ही समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

05/12/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक– 955/241/NULM/शै0/2001(SUH) दिनांक– 15/12/2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, सीतापुर एवं रायबरेली।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद– संत कबीर नगर, शामली, सीतापुर एवं रायबरेली।

14. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, सीतापुर एवं रायबरेली।
15. परियोजना अधिकारी, डूडा सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, सीतापुर एवं रायबरेली।
16. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक